

:: आदेश ::

उप जिलाधिकारी ऊखीमठ ने अपने पत्र संख्या-366/एस0टी0-विविध/2016 दिनांक 26 जुलाई 2016 के द्वारा अवगत कराया है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाबरी-जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 है० वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को प्राप्त हो गई है तथा वन भूमि हस्तान्तरण हेतु कें गुनी भूमि 6.30 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को प्रस्तावित की जानी है।

उप जिलाधिकारी ऊखीमठ ने अपने उक्तांकित पत्र दिनांक 26 जुलाई 2016 के द्वारा जनपद अन्तर्गत ग्राम जयकण्डी की ज०वि०र० खतौनी खाता संख्या-11 खसरा नं०-949 रकवा 2.105 है०, खसरा नं०-959 रकवा 0.395 है० भूमि तथा ज०वि०र० खतौनी खाता संख्या-10 के खसरा नं०-1907 रकवा 3.600 है० एवं खसरा नं०-1909 रकवा 0.840 है० मध्ये 0.200 है० अर्थात् कुल रकवा 6.300 है० भूमि वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गई है।

अतः उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2, दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उक्त चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

६०/-

(डा० राघव लंगर)

आई.ए.एस.

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

संख्या- 7153/छब्बीस-एल०ए०सी० (2015-16) दिनांक, रुद्रप्रयाग, अगस्त 16, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग।
- 6- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ।

R.S.

21/8/2016

21/8/2016

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

साफ खेतों में (मुन्तखिव) ग्राम जेकरी ५६१ लाला कालीपद परगना नागपुर लहसौली चमौली जिला गढ़वाल

क्र.सं.	सूचिका	१९६७	१९६८	होने वाली	आदेश
		१६००	४२	लिखित	कारगलग अधिनियम गिलासिकरी मतेदग-रुद्रप्रमाण के पत्र सं०-७१५३/६६की सं० ४००० (२०१५-१६) दिनांक २३/०५/१६ मुगल १६, २०१६ पर अधिनियम तहसीलदार मतेदग, रुद्रप्रमाण के पत्र सं० ४००० के अनुपालन में जाकर) - गामाकरी मेरु मात्र के निर्माण हेतु गामा नगराकरी के जमीन सं० १००-१० के खसरा नं०-१९०१ रकबा ३६०० है। एवं खसरा नं० १९०१ रकबा ०.८४० है। अति मध्ये ०.२०० है। अति खसरा नं० १९०१ एवं १९०२ मध्ये कुल ३.८०० है। अति क्षतिपूर्ति वृद्धारोपण हेतु का विभाग के पत्र में नमान्तरित एवं हस्तान्तरित किया
		२	२२२		
	ज म्हाई पञ्चुवर				अति व अन्य चराई के भूमि का कोई नहीं
	च हमार होने की दास व वास का				कोई दास व वास का कोई नहीं

RECEIVED
०६/०१/१६
राजस्थान गवर्नमेन्ट
१/८ गवर्नमेन्ट

सत्यमेव जयते
राजस्थान गवर्नमेन्ट
जनपद रुद्रप्रमाण